

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या
16/103/2023

प्रवेश तिथि
03-02-2023

निर्णय दिनांक
20-03-2023



राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत
निर्णय विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर निर्णय दिनांक 02.03.2022

उपस्थित:-

01- श्री दीपक मीना

- राजकीय अभिभाषक

--:निर्णय::--

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच/3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1405 दिनांक 02.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 962 रकबा 0.80 है० किस्म बारानी सोयम में से 0.30 है० वाके ग्राम टहला, ग्राम पंचायत टहला, तहसील टहला, जिला अलवर की भूमि का राजीव लोचन विजय पुत्र राजनारायण विजय, जाति महाजन, निवासी ग्राम नैडोली, ग्राम पंचायत घेवर, तहसील टहला, जिला अलवर को अतिक्रमी द्वारा अधिवासित राजकीय भूमि का नियमन आदेश जारी किया गया है, के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /1405 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा नियम विरुद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ़ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ़/टहला में किये गये भूमि नियमन के प्रकरण की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प०

2-2
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)



12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ/दहेली के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन/नियमन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंका की है। पटवारी हल्का व आईएलआर द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में जिन्स के कॉलम में गार्डन, रकबा 0.30 है० अंकित किया है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2046 अनुसार खसरा नंबर 962 का रकबा 1.80 है० दर्ज है, परंतु संवत् 2072-76 में खसरा नं० 962 का रकबा 0.80 है० दर्ज है। मौके पर "गार्डन" लगाया हुआ है जो नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। आंशिक खसरे का नियमन हुआ है, परन्तु नजरी नक्शा संलग्न नहीं किया है। प्रकरण में पटवारी हल्का व आईएलआर की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, जिससे यह जांच की जा सके कि अप्रार्थी का जिविकोपार्जन मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है अथवा अन्य व्यवसाय से होता है, क्योंकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय घोषणा पत्र में कुला वार्षिक आय 690220/- रुपये का अंकन किया है। प्रकरण में नियमन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित नियमन आदेश दिनांक 02.03.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया, तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि के नियमन की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडों की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप-4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नहीं है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। हल्का पटवारी व आईएलआर द्वारा अंतर्गत धारा

2-2
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

91, भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में रकबा 0.30 है0 व जिन्स के कॉलम में गार्डन का अंकन किया गया है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 अनुसार खसरा नंबर 962 का रकबा 1.80 है0 दर्ज है, परंतु संवत 2072-76 में ख.नं. 962 का रकबा 0.80 है0 दर्ज है। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक की अंतर्गत धारा 91, भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 'गार्डन' लगाया हुआ है, जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रासांगिक भूमि का उपयोग वर्तमान में कृषि कार्य के रूप में नहीं किया जाकर वरण गैर-कृषि उपयोग में किया जा रहा है, जो नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। आंशिक खसरे का नियमन हुआ है, परन्तु नजरी नक्शा संलग्न नहीं है। प्रकरण में पटवारी हल्का व आईएलआर की रिपोर्ट संलग्न नहीं है जिससे यह जांच की जा सके कि अप्रार्थी का जीविकोपार्जन मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है अथवा अन्य व्यवसाय से होता है, क्योंकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय घोषणा पत्र में वार्षिक आय 690220/-रुपये का अंकन किया है। प्रकरण में अप्रार्थी का निवास स्थान ग्राम नैडोली, ग्राम पंचायत घेवर, तहसील टहला, जिला अलवर है, जबकि नियमन अन्य राजस्व ग्राम टहला, ग्राम पंचायत टहला, तहसील टहला में किया गया है। अप्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी पूर्व में ही 2.92 है0 भूमि धारण करता है। उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी को इसी दिनांक 02.03.2022 को राजस्व ग्राम नैडोली, ग्राम पंचायत घेवर, तहसील टहला में भी आराजी खसरा नं0 259 रकबा 0.20 है0, किस्म बंजड का आदेश क्रमांक एल. आर/आवंटन/2021-22/2261 दिनांक 02.03.2022 पृथक से आवंटन किया गया है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया है, एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन/नियमन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमन करते समय नियमन की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी का विधि विरुद्ध नियमन किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है, कि उक्त आवंटन/नियमन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान


2
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है, तथा आवंटन/नियमन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन/नियमन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1405 दिनांक 02.03.2022 आवंटन नियम, 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध हैं। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1405 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उत्तम सिंह शेखावत)
जिला कलेक्टर (प्रथम)
असलकर (राजगढ़)